न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 151/2014
निर्णय दिनांक– 01.02.2019

उनवान

बाली चोधरी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक

बनाम –वादीयां

1. मोड्रू पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक
2. श्योजी पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक
3. सुरज्ञान पुत्र कालू जाति जाट नियारी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक
4. प्रसन्न बेवा कालू जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थित:– श्री पी0सी0जैन वकील वादीयां

निर्णय

वादीयां द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादीयां के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 3.56 है0 वाके ग्राम डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजी वादीया ने तत्कालीन खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया जाकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था तब से आज तक वादीया का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया ने उक्त वर्णित आराजी के चारों ओर मिट्टी की डोल लगा रखी है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर लगी डोल को तोडकर जबरन रास्ता व धोरा निकालने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है।

यह कि वादीयां की अधियाचना है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीयां के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 3.56 है0 वाके ग्राम डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे और ना ही उक्त आराजी पर लगी डोल को तोडे, किसी प्रकार का रास्ता व धोरा आदि निकालने का प्रयास नही करे।

उक्त वाद पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण व उनके वकील के द्वारा वकालातनामा व जवाब दावा प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 20.03.2018 को उनका जवाब बन्द किया गया।

वादीयां ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 प्रस्तुत किये है।

वादीयां ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी.डब्लू. 1 बाली, पी.डब्लू. 2 मोहनलाल व पी.डब्लू. 3 रामेश्वर के शपथ पत्र पेश किये।

वादीयां के वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीयां वकील ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुंये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हमारे कब्जे काश्त व खातेदारी की है। प्रतिवादीगण । उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। वे विना किसी कारण उक्त आराजी मे दखलंदाजी कर मिट्टी की डोल तोडकर धोरा निकालने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमावे।

वादीयां के वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 वाके ग्राम डाबला मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 113 रकबा 3.56 है0 प्रवीण चन्द पुत्र गुलाब चन्द छाबडझ सा. उनियारा जाति महाजन हाल जयपुर की खातेदारी मे अंकित है, जो ना.स. 305 दिनांक 30.8.11 विक्रय पत्र से केत्री श्रीमती बाली चोधरी ध.प. मोहनलाल चोधरी जाट के नाम का अंकन दर्ज हुआ है। इस प्रकार वादीया वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद मे उपस्थित होना व वकालातनामा व जवाब दावा प्रस्तुत न करना वादीया के वाद का परोक्ष समर्थन है। साक्ष्य वादी से भी वादीयां के वाद की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीयां के वाद को बहक वादीयां विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद वादीयां डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीयां के खातेदारी व कब्जे काश्त की 113 रकबा 3.56 है0 वाके ग्राम डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, और ना ही उक्त आराजी पर लगी डोल को तोडे, किसी प्रकार का रास्ता व धोरा आदि निकालने का प्रयास नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

उनवान

बाली चोधरी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक

बनाम —वादीयां

1. मोडू पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक
2. श्योजी पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक
3. सुरज्ञान पुत्र कालू जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक
4. प्रसन्न बेवा कालू जाति जाट निवासी डाबला तहसील उनियारा जिला टोक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बरः—151 वर्ष 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पी.सी.जैन वकील वादीयां मिनजानिब मुद्दइ व प्रतिवादी .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीयां के खातेदारी व कब्जे काश्त की 113 रकबा 3.56 है0 वाके ग्राम डाबला तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, और ना ही उक्त आराजी पर लगी डोल को तोडे, किसी प्रकार का रास्ता व धोरा आदि निकालने का प्रयास नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 02 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner